

यह दस्तावेज़ केवल दस्तावेज़ी सहायता के रूप में है और इसका कोई कानूनी बल नहीं है। ट्रेड यूनियनों की कोई जिम्मेदारी नहीं सामग्री के लिए जिम्मेदारी. प्रासंगिक कानूनों के वास्तविक संस्करण, उनकी प्रस्तावना सहित, यूरोपीय संघ में प्रकाशित किए जाते हैं। राजपत्र और EUR-Lex में उपलब्ध है। ऐसे आधिकारिक दस्तावेज़ों तक इस दस्तावेज़ में शामिल लिंक के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है।

बी यूनियन विनियमन (ईयू) 2020/2146

24 सितंबर से

यूरोपीय संसद और विशिष्ट उत्पादन नियमों पर परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 के अतिरिक्त जैविक उत्पादन पर

(ईईए समतुल्य पाठ)

(ओजे एल 428, 18.12.2020, पृ. 5)

संपादित:

| सरकारी समाचार पत्र                                              |     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| नहीं                                                            | केल | तारीख      |
| एस1 आयोग विनियमन (ईयू) 2023/2911 दिनांक 16 अक्टूबर 2023 एल 2911 | --  | 22.12.2023 |

बी

यूनियन विनियमन (ईयू) 2020/2146

24 सितंबर से

यूरोपीय विनियमन (ईयू) 2018/848 के अतिरिक्त

सीनेट और परिषद की कार्यवाहियों के लिए विशेष नियमों में शामिल हैं:

फसल का उपयोग न होने की स्थिति में

(ईईए समतुल्य पाठ)

अनुच्छेद 1

खतरनाक स्थितियों की पहचान करना

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 22(1) में निर्दिष्ट विशिष्ट उत्पादन नियमों के अनुसार, किसी स्थिति को योग्य बनाने के लिए

"चरम मौसम की घटना" से उत्पन्न खतरनाक स्थितियों के लिए, प्रासंगिक "घटना" स्थिति को उस राज्य के निर्णय द्वारा खतरनाक स्थिति के रूप में माना जाएगा जिसमें परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे कानूनी रूप से औपचारिक रूप दिया गया था।

2. जोखिम कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस पर निर्भर करता है

किसी विशेष प्रांत या किसी विशेष विभाग में, एक वैधानिक परिभाषा

अनुच्छेद 1 के अनुसार संबंधित प्रांत या विभाग पर लागू होगा।

अनुच्छेद 2

समझौते की शर्तें

1. अनुच्छेद 1 में संदर्भित आधिकारिक निर्धारण के बाद,  
यदि यह ज्ञात हो कि कर्मचारी हैं तो सक्षम प्राधिकारी  
जिस पर यह प्रासंगिक क्षेत्र में लागू होता है या संबंधित व्यक्तिगत कर्मचारी के अनुरोध पर, उचित शर्तों के साथ अनुच्छेद  
3 में निर्धारित लागू अपवाद प्रदान करता है, यदि

निम्नलिखित अपवाद और शर्तें लागू होती हैं:

(क) सीमित समयावधि के लिए तथा आवश्यकता से अधिक नहीं, तथा किसी भी स्थिति में 12 महीने से अधिक नहीं, ऐसे हस्तांतरण की  
लिपि से पूर्व की तरह उत्पादन जारी रखना या पुनः आरंभ करना;

(ख) विशेष रूप से प्रभावित उत्पादों के प्रकारों के संबंध में, या,  
यदि लागू हो, तो भौगोलिक क्षेत्र; और

(सी) संबंधित क्षेत्र में प्रभावित सभी कोशिकाएं या केवल एक विशिष्ट कोशिका  
परिस्थितियों के आधार पर, संबंधित इकाई को सूचित किया जाएगा।

....

बी

अनुच्छेद 2

विनियमन (ईयू) 2018/848 से विशिष्ट छूट

1. विनियमन (ईयू) 2018/848 के भाग I से विचलन के माध्यम से, गैर-जैविक पौधों के प्रजनन अंगों का उपयोग पौधों के प्रजनन अंगों के अलावा पौधों और पौधों के उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है यदि 1.8.5.5.3 वे जैविक या संक्रमणकालीन पौधे प्रजनन अंग हैं। तदनुसार, इस परिशिष्ट के भाग 1 के पैराग्राफ 1.7 में निर्धारित आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं।

2. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग II के अनुच्छेद 1.3.1 से विचलन के माध्यम से, ब्रूड या समूह को उन जानवरों के लिए स्थापित अवधि के भीतर गैर-जीवित जानवरों के साथ नवीनीकृत या संसाधित करना होगा जिन 1.2 के भीतर पाले गए, यदि व्यवस्थित रूप से पाले गए जानवर उपलब्ध नहीं हैं, यदि व्यवस्थित रूप से पाले गए जानवर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, यदि उनके पास क्लोन किए हुए जानवर नहीं हैं, उनके पास तब तक जानवर नहीं हैं जब तक कि उनके पास जैविक रूप से पाले हुए जानवर न हों, जब तक कि जानवरों से प्रेरित जानवरों को तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि वे पशु रूप में जानवर न हों, जब तक कि उन्हें स्वीकार न किया जाए जो पशुओं की छवियों से नहीं बने हैं, जब तक कि वे जैविक पशुओं की अनुपति न दें। अनुलग्नक II का अनुपालन किया गया है।

पहला पैराग्राफ मधुमक्खियों और अन्य कीटों को पालने के संबंध में मध्यम सीमा तक लागू होता है।

• • • •

4. विनियमन (ईयू) 2018/848 के भाग II के बिंदु 1.4.2.1, 1.6.3 और 1.6.4 को छोड़कर, जहां पशुधन उत्पादन तत्व अप्रयुक्त भूमि, इनडोर भवनों और भवनों के न्यूनतम अनुमोदित फर्श क्षेत्र और न्यूनतम फर्श क्षेत्र से संबंधित है। इस विनियमन के खंड 14(3) में संशोधन किया जा सकता है।

1. परिचय (ईयू) 2018/848 के भाग II के अनुच्छेद 1.3.1.1 (2) (a) में निर्धारित है, जहां कहा गया है कि यह है कि यह जैविक पौधों की अनुपति नहीं है, जो कि जैविक पौधों का एक अंगों जहां कहा भी जैविक पौधों का एक अंग है, जो

जहां वे जैविक पौधों की एक अंग हो सकते हैं, या जैविक पौधों में उनकी कीमती का समझती है, या जैविक पौधों में उनकी कीमती का समझती है, या उन्हें हटाने का समझती है

जैविक पौधों में एक अंग का समझती है, या जैविक पौधों में एक अंग का समझती है, या जैविक पौधों में एक अंग का समझती है, या जैविक पौधों में एक अंग का समझती है, या एक अंग का समझती है

जैविक पौधों में, या उन्हें जैविक पौधों में हटाने का है, या उन्हें जैविक पौधों में हटाने का है, या उन्हें जैविक पौधों में हटाने का है, या उन्हें जैविक पौधों में हटाने का है, या उन्हें जैविक पौधों में हटाने का है, या उन्हें जैविक पौधों में हटाने का है

जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है

जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है, या जैविक पौधों में हटाने का है

• • • •

• • • •

बी

8. विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुलग्नक II के भाग III के बिंदु 3.1.2.2.1 (ए) के अपवाद के रूप में, पशुधन को गैर-कृषि के साथ फिर से भरा या पूरक किया जा सकता है

जीव, बशर्ते कि जीवित जैविक जीव-जंतुओं का एक तिहाई हिस्सा आपस में निकट संबंधी न हों। इस चक्र का प्रबंधन जैविक प्रबंधन के ढांचे के भीतर किया जाता है।

... 2019/934, जबकि जैविक अंगूर की स्वच्छता यह वाइन निर्माता को सामान्य से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करने के लिए बाध्य करता है। पिछले वर्षों की तुलना में, एक समान अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए।

विनियमन (ईयू) 2018/848

निगरानी और रिपोर्टिंग

...

2. छूट प्राप्त प्रत्येक विषय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:  
दी गई रियायतों के दस्तावेजी साक्ष्य, साथ ही ऐसी छूटों की वैधता अवधि के अनुसार ऐसी छूटों के उपयोग के दस्तावेजी साक्ष्य ।

...

अंगूर का अंगूरिक 1

उन्होंने इसके साथ काम करना शुरू कर दिया।

यह विनियमन यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशन के अगले बीसवें दिन लागू होगा।

1 जनवरी, 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन पूरी तरह से बाध्यकारी है और इसका सभी पर सीधा प्रभाव पड़ता है सदस्य देशों।